

**प्रेस नोट संख्या-31**

**दिनांक 19.10.2024**

**थानाक्षेत्र जगदीशपुर में हुई विमलेश तिवारी की हत्या से संबंधित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, मृतक का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद हथौड़ा (आलाकत्ल) बरामद ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 11.10.2024 समय करीब 12.30 बजे रात्रि में थानाक्षेत्र जगदीशपुर जनपद अमेठी अन्तर्गत सिधियावां ग्राम के पास जनता धर्मकांटा पर विमलेश तिवारी पुत्र भोलानाथ तिवारी निवासी गहरी मई थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को सोते समय एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हथौड़े से हमला कर घायल कर दिया गया था जिसके संबंध में धर्मकांटा के मालिक सानू की तहरीर पर थाना जगदीशपुर पर मु0अ0सं0 264/24 धारा 331(2), 305, 109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था, घायल विमलेश तिवारी की इलाज के दौरान मृत्यु के उपरांत विवेचना के क्रम में उक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस को विलोपित कर धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक आदेश- निर्देश दिये गये थे। गठित टीमों द्वारा लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

जिसके क्रम में दिनांक 18.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव थाना जगदीशपुर मय हमराही, थानाध्यक्ष तनुज कुमार पाल थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक मय हमराही एवं उ0नि0 अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद अमेठी मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि समय करीब 11:30 बजे रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थानाक्षेत्र जगदीशपुर जनपद अमेठी में हुई विमलेश तिवारी की हत्या से संबंधित अभियुक्त इस समय थानाक्षेत्र भाले सुल्तान शहीद स्मारक अन्तर्गत पूरे पंछी मोड़ ग्राम टाण्डा के पास जंगल में पुनः अपराध करने की फिराक में छिपा है। उक्त सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर घेरा बंदी कर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया तभी अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर करने पर अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा, मौके से अभियुक्त को समय करीब 11:50 बजे रात्रि में 01 अदद तमंचा, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अदद हथौड़ा, मृतक विमलेश तिवारी का 01 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम राजबहादुर कोरी पुत्र रामदास कोरी निवासी मेढोना थाना मोहनगंज जनपद अमेठी बताया। उक्त अभियुक्त थाना जगदीशपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 264/24 धारा 331(2), 305, 103(1) बीएनएस में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त है। जिसे पुलिस हिरासत में लेकर इलाज हेतु मौके से सीएचसी जगदीशपुर भेजा गया। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पर मु0अ0सं0 159/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 10/11.10.2024 की रात्रि करीब 10.30 बजे लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर जनता धर्मकाटे में चोरी की नीयत से अन्दर गया था लेकिन वहां पर लोग जाग रहे थे उस समय मैं वापस लौट आया। पुनः करीब 02 घण्टे बाद अन्दर गया तो 02 व्यक्ति बाहर व 01 व्यक्ति कमरे अन्दर सो रहा था। कमरे के अन्दर सोये व्यक्ति पर बरामद इसी हथौड़े से जान से मारने की नीयत से मारकर मरणासन्न कर दिया था। कमरे में रखे स्लाइडर व अलमारी को खोलकर चेक किया तो कुछ मिला नहीं तथा घायल व्यक्ति के जेब में रखे 50 रुपये व उसका मोबाइल फोन लेकर भाग गया था। पहचान छुपाने के लिए घटना के समय मैंने एक मास्क लगा लिया था। बरामद हथौड़े के बारे में पूछने पर बताया कि जब मैं चोरी करने जाता हूं तो इसको अपने साथ ले जाता हूं यदि कोई व्यक्ति सोता हुआ मिलता है तो इसी हथौड़े से उसको मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देता हूं या उसकी हत्या कर देता हूं।

**गिरफ्तारी स्थान:-** पूरे पंछी मोड़ ग्राम टाण्डा, **समय:-** करीब 11:50 बजे रात्रि, **दिनांक:-** 18.10.2024

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- राजबहादुर कोरी पुत्र पुत्र रामदास कोरी निवासी मेढोना थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष ।

### पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-

1. मु0अ0सं0 159/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 264/24 धारा 331(2), 305, 103(1),317(2) बीएनएस थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

### बरामदगी:-

1. 01 अदद तमंचा, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. घटना में प्रयुक्त 01 अदद हथौड़ा (आलाकत्ल)
3. मृतक विमलेश तिवारी का 01 अदद मोबाइल फोन

### पुलिस टीम:-

#### थाना जगदीशपुर-

1. प्र0नि0 धीरेन्द्र कुमार यादव
2. उ0नि0 शिवबक्श सिंह
3. उ0नि0 नन्दराम
4. हे0का0 अरुण वर्मा
5. का0 कमल दीक्षित
6. का0 प्रदीप पाठक

#### स्वाट टीम:-

1. उ0नि0 अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2. हे0का0 पवनेश कुमार
3. हे0का0 अलोक सिंह
4. का0 बृजेश सिंह
5. का0 सिकन्दर खां
6. का0 शिवराम
7. का0 जय हिन्द

#### थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक:-

1. उ0नि0 तनुज पाल थानाध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक
2. उ0नि0 राजेश सिंह
3. हे0का0 राघवेन्द्र यादव
4. का0 योगेश कुमार

#### अभियुक्त राज बहादुर का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 85/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 93/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 37/22 धारा 302,411,460 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 264/24 धारा 331(2), 305, 103(1) बीएनएस थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदय द्वारा 25 हजार रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है ।